शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 2/2018/400/90-सं0शि0प0का0/18-01(सं0शि0)/2015

प्रेषक,

राजीव कुमार,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

संसदीय शिष्टाचार/पत्राचार कार्यान्वयन अनुभाग **लखनऊ: दिनांक 03 अप्रैल, 2018**

विषय: मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के सदस्यों द्वारा शासन एवं जनपद स्तर पर भेजे गये पत्रों पर की गयी कार्यवाही से अवगत कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1105/90-सं-1-2012-70सं/1984, दिनांक 28-09-2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासन स्तर पर प्रत्येक शाखा में कम से कम संयुक्त सचिव स्तर के, विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष स्तर पर कम से कम संयुक्त निदेशक स्तर के, जिला स्तर पर कम से कम उप जिलाधिकारी स्तर के तथा जनपद के पुलिस विभाग में उप पुलिस अधीक्षक स्तर के एक-एक अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किये जाने के निर्देश दिये गये थे जो मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के मा0 सदस्यों द्वारा प्रेषित पत्रों पर कार्यवाही की लगातार मॉनीटरिंग अपने स्तर पर करते रहेंगे तथा उसके बारे में विभागीय अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव तथा विभागाध्यक्षों/ जिलाधिकारी/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक को अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

2- इसके अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-1117/90-सं-2015-70सं/1984, दिनांक 15-10-2015 द्वारा मा0 सांसदों/विधान-मण्डल सदस्यों एवं जन-प्रतिनिधियों के पत्रों के सम्बन्ध में प्रत्येक सरकारी कार्यालय में **"जन-प्रतिनिधि पत्राचार रजिस्टर"** बनाये जाने के निर्देश दिये गये थे, जिसमें यह आदेश जारी किये गये थे कि मा0 सांसदों/विधान-मण्डल सदस्यों के पत्रों को उक्त रजिस्टर में दर्ज किया जाये एवं समय से इसकी पावती भेजी जाये और कृत कार्यवाही से मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल सदस्यों को अवगत कराया जाये।

3- उपर्युक्त शासनादेशों में दिये गये स्पष्ट निर्देशों के बाद भी शासन स्तर पर इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और प्राय: यह देखा जा रहा है कि जिला स्तर पर मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यगणों को नहीं दी जा रही है। अत: आपको पुन: निर्देशित किया जाता है कि मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यों से प्राप्त पत्रों को उपर्युक्त **"जन-प्रतिनिधि**

जारी कृपया पृ0-2-

shasanadesh.up.nic.in

पत्राचार रजिस्टर" में अंकित करते हुये उक्त पत्रों की पावती उक्तानुसार भेजते हुये उन पर प्राथमिकतापूर्वक कार्यवाही की जाये तथा कृत कार्यवाही से संबंधित मा0 सांसदों एवं विधान-मण्डल के मा0 सदस्यों को अवगत कराना सुनिश्चित किया जाये।

4- शासन स्तर से पूर्व में निर्गत उपर्युक्त निर्देशों के क्रम में पुन: जारी किये जा रहे उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन व्यक्तिगत ध्यान देते हुये शीर्ष प्राथमिकता पर करना सुनिश्चित किया जाये एवं तदनुसार "अधीनस्थ कार्यालयों" को आवश्यक अनुदेश भी अपने स्तर से प्रदान किये जायें।

भवदीय,

राजीव कुमार
मुख्य सचिव।

संख्या-2/2018/400(1)/90-सं0शि0प0का0/18-01(सं0शि0)/2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सुरेश कुमार गुप्ता
प्रमुख सचिव।

shasanadesh.up.nic.in